भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *403

जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2019/31 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया

चिट फंड/फर्जी बीमा कंपनियां

403. श्री अरूण साव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेषकर ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में चिट फंड कंपनियां और फर्जी बीमा कंपनियां काम कर रही हैं जो निवेश के नाम पर लोगों को आकर्षित करके उनसे भारी-भरकम राशि संग्रह कर रही हैं और उसके पश्चात गायब हो जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी गैर-कानूनी/फर्जी कंपनियों की पहचान करने तथा उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कोई कार्ययोजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देशभर में छत्तीसगढ़ सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसी कितनी फर्जी कंपनियों की पहचान करके उन्हें दंडित किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'चिट फंड/फर्जी बीमा कंपनियों' के संबंध में श्री अरुण साव, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए 22 जुलाई, 2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *403 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): जमा स्वीकार करने की योजनाओं को विभिन्न अधिनियमों के उपबंधों के अंतर्गत अनुमोदित किया जाता है और इन्हें विभिन्न विनियामकों जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आदि के द्वारा अभिशासित किया जाता है। विभिन्न विनियामकों तथा प्रवर्तक एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनके द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा **अनुबंध-1** में दिया गया है।

(ग): अप्राधिकृत योजनाओं पर रोक लगाने तथा आम लोगों को उनकी मेहनत की कमाई से वंचित होने से रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

- अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अध्यादेश, 2019 को माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 21.2.2019 को प्रख्यापित किया गया तथा इसे यह उसी दिन से लागू हो गया। इस अध्यादेश में देश में गैर-कानूनी रूप से जमा स्वीकार करने के कार्यकलाप के संबंध में कार्रवाई करने तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए व्यापक उपबंध किए गए हैं। इस अध्यादेश में एक व्यापक पाबंदी खंड मौजूद है जो जमा स्वीकार करने वालों को किसी अविनियमित जमा योजना को बढ़ावा देने, परिचालित करने, इसका विज्ञापन निकालने अथवा जमा स्वीकार करने पर पाबंदी लगाता है। इस अध्यादेश में प्रतिवारक के रूप में कठोर दण्ड तथा भारी आर्थिक दण्ड का भी उपबंध किया गया है।
- 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लोगों से गैर-कानूनी रूप से धनराशि एकत्र करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जमाकर्ता हित संरक्षण (पीआईडी) अधिनियम पारित किया है।
- सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में एसएलसीसी का गठन किया गया है जिनमें राज्य सरकार के अधिकारियों, विधि प्रवर्तक एजेंसियों, विनियामकों आदि की सहभागिता होती है। अप्रैल 2014 में राज्य के मुख्य सचिव को अध्यक्ष बनाकर एसएलसीसी को पुनर्गठित किया गया और ऐसी बैठकों की संख्या को प्रति वर्ष दो से बढ़ाकर चार कर दिया गया है।
- आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर अक्सर पूछे जाने प्रश्नों (एफएक्यू) के शीर्ष के अंतर्गत तथा समाचार-पत्र/रेडियो/दूरदर्शन पर विज्ञापन देकर पौजी योजनाओं के संबंध में लोगों को सचेत किया है। इसके अलावा, आरबीआई के ऑनलाइन पोर्टल

एसएसीएचईटी (https://sachet.rbi.org.in) के जरिए लोगों को धोखाधड़ीपूर्ण योजनाओं/संस्थाओं के विरुद्ध सचेत किया जाता है।

- सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11क के अंतर्गत सेबी सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) को विनियमित करता है। प्रतिभूति बाजार में अनियमितताओं के संबंध में सेबी को सेबी अधिनियम, 1992 के अंतर्गत जांच करने, उपयुक्त प्रवर्तन कार्रवाई करने तथा आदेश जारी करने की शक्तियां प्राप्त हैं।
- ईडी को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा), धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) और भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के उपबंधों को लागू करने तथा उनके उल्लंघन की जांच करने के लिए अधिदेशित किया गया है।
- एमसीए आम लोगों को निवेश करने से पूर्व उक्त योजना आदि में संलिप्त लोगों के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों की वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना से जानकारी प्राप्त करने के लिए निवेशक जागरुकता कार्यक्रम संचालित करता है।

(घ): जमाराशि के अप्राधिकृत संग्रहण के मामलों का ब्यौरा उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में दिया गया है।

(ङ.): ऐसी नकली/गैर-कानूनी कंपनियों पर कठोर कार्रवाई करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा वर्ष 2015 में बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 103 को संशोधित किया गया था। इस संशोधन में बिना पंजीकरण प्रमाण-पत्र के बीमा कारोबार करने वाले व्यक्ति के लिए दण्ड को अधिनियम की धारा 3 के अनुसार पांच करोड़ रुपए से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए तथा कारावास की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है।

*****

अनुबंध-1

- आरबीआई का सचेत पोर्टल जो एसएलसीसी के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्महै, लोगों को धोखाधड़ियों की शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें जमाराशियों का पुनर्भुगतान न करने और विभिन्न प्रकार की निवेश योजनाओं के लिए धन संग्रह करने (वर्ष 2016-17 में 1461, वर्ष 2017-18 में 1683 और वर्ष 2018-19 में 2081) के मामलों से संबंधित 5225 शिकायतें (अगस्त, 2016 में पोर्टल के आरंभ होने से) प्राप्त हुई हैं।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विगत चार वर्ष के दौरान सेबी (सामूहिक निवेश योजना) विनियम, 1999 का अनुपालन नहीं करने के लिए 75 संस्थाओं (वर्ष 2015-16 में 34, वर्ष 2016-17 में 11, वर्ष 2017-18 में 19 और वर्ष 2018-19 में 11) के विरुद्ध आदेश जारी किए हैं। सेबी ने विगत चार वर्ष के दौरान कानून का उल्लंघन करते हुए इक्विटी शेयरों/परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को जनता को जारी करने के संबंध में भी 34 आदेश (वर्ष 2015-16 में 5, वर्ष 2016-17 में 3, वर्ष 2017-18 में 16, वर्ष 2018-19 में 8 और वर्ष 2019-20 में दिनांक 31.05.2019 तक 2) जारी किए हैं।
- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सूचित किया है कि विगत तीन वर्ष के दौरान ईडी ने चिट फंड और पौंजी योजनाओं से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 27 मामलों में जांच आरंभ की है।
- कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने निवेश घोटालों (जैसे कि चिट फंड घोटाला/ एमएलएम/पौंजी योजनाओं) में कथित रूप से संलिप्त 65 कंपनियों के मामलों में जांच के आदेश दिए हैं और विगत तीन वर्ष (वर्ष 2016-17 में 27, वर्ष 2017-18 में 34 और वर्ष 2018-19 में 4) के दौरान उन्हें गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को सौंपा है।
- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने विगत तीन वर्ष के दौरान चिट फंड/पौंजी कंपनियों से संबंधित 159 मामले (वर्ष 2016 में 23, वर्ष 2017 में 108 और वर्ष 2018 में 26 तथा वर्ष 2019 में दिनांक 30.6.2019 तक 2) दर्ज किए हैं।
- फर्जी बीमा कंपनियो के संबंध में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) ने यह सूचित किया है कि हालांकि उन्हें सूचना में बड़ी संख्या में फर्जी बीमा कंपनियों के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें विगत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित मामलों की सूचना प्राप्त हुई है:

(i) वर्ष 2016 में एकेपीसीएल साधारण बीमा कंपनी नामक एक कंपनी साधारण बीमा पालिसियां बेच रही थी, जबकि उन्हें किसी भी प्रकार की बीमा पालिसी बेचने के लिए इरडाई के द्वारा पंजीकरण प्रदान नहीं किया गया था। इरडाई ने जीआईडीसी थाना, वापी, गुजरात में 21 जुलाई, 2016 को एक शिकायत दर्ज की थी। इरडाई ने दिनांक 4.8.2016 को एक आम नोटिस भी जारी किया था जिसमें लोगों को इस कंपनी से सचेत किया गया।

(ii) वर्ष 2016 में इरडाई ने ग्लोबल फाइनेंशियल ग्रुप लिमिटेड - केरल तथा जैनी ग्रुप- कोलकाता, पश्चिम बंगाल को नोटिस जारी किया था। तथापि, नोटिस बिना वितरण के वापस आ गया। चूंकि ऐसी कोई कंपनी उल्लिखित पते पर नहीं पाई गई, इसकी सूचना राज्य स्तरीय समन्वय समिति को दी गई।

(iii) वर्ष 2019 में दो कंपनियों, नामत: जी-वन जनरल इंश्योरेंस कंपनी तथा मैरिन्स टेक्नोलॉजी, के संबंध में लखनऊ से एक आरटीआई शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें यह कहा गया है कि ये दोनों कंपनियां साधारण (मुख्यत: वाहन) बीमा पालिसियां बेच रही थी, जबकि उन्हें इस प्रकार की कोई पालिसी बेचने के लिए इरडाई का कोई पंजीकरण नहीं है। इरडाई ने उपर्युक्त कंपनियों के बारे में लोगों को सचेत करने के लिए दिनांक 3.5.2019 को एक आम नोटिस जारी किया।